न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 73/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 9.8.2018
अन्तर्गत धाराः 75(1) (एफ) राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. अतुल प्रकाश शर्मा आत्मज ओमप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी नवजीवनसंध कॉलोनी नैनवारोड बूंदी तहसील एवं जिला बूंदी।

...अपीलाट

बनाम

1. त्रिलोक आत्मज स्व0 सुधाकर जाति ब्राहमण
2. दिवाकर आत्मज स्व0 सुधाकर जाति ब्राहमण
3. प्रभाकर आ0 स्व0 सुधाकर जाति ब्राहमण
4. रत्नाकर आ0 स्वर्गीय जाति ब्राहमण
5. गीतादेवी पत्नी स्व0 सुधाकर जाति ब्राहमण नि0 भूरिया जी वैद्य की गली बालचंदपाडा बूंदी तहसील एवं जिला बूंदी राज0।
6. ओमप्रकाश आ0 कल्याणलाल जाति ब्राहमण निवासी नवजीवनसंघ कॉलोनी नैनवारोड बूंदी तहसील व जिला बूंदी।
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तालेडा जिला बूंदी (राज0)।

...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री महेश शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
रविप्रकाश शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 06.3.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार तालेडा जिला बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या न्याय/भू0अ0/नामा0/2015/67 प्रार्थना पत्र दिनांक 18.2.14 प्रार्थी सुधाकर शर्मा जाति ब्राहमण नि0 बालचंदपाडा बूंदी बावत फौती नामा0 दर्ज करने व प्रार्थना पत्र दिनांक 9.9.2014 प्रार्थी अतुल शर्मा आ0 ओमप्रकाश ब्राहमण नि0 नैनवा रोड बूंदी मुताबिक वसीयतनामा के नामान्तरकरण दर्ज करने बावत मे पारित निर्णय दिनांक 27.7.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1) (एफ) अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार तालेडा द्वारा ग्राम खटावदा तहसील हिण्डोली की जमाबंदी सं0 2064–67 के खाता संख्या 155 के मृतक खातेदार सन्तुलाल वल्द कल्याणलाल कौम ब्राहमण सा0 बूंदी खातेदार के राजस्व न्यायालय द्वारा नामा0 सं0 577 निर्णय दिनांक 22.7.2010 से उत्तराधिकारी दर्ज इसके सगे भाई सुधाकर एवं ओमप्रकाश का ग्राम करोंदी की जमाबंदी सं0 2069–72 के खाता सं0 68 ख0 सं0 982/19 रकबा 15 बीघा पर मृतक सन्तुलाल के स्थान पर दर्ज खाते किये जाने की हिस्सा बराबर से आज्ञा दी जाती है चूंकि सुधाकर भी मर चुका अतः सुधाकर के स्थान पर त्रिलोक दिवाकर प्रभाकर रत्नाकर पि0 सुधाकर गीतादेवी पत्नी सुधाकर नि0 बूंदी का नाम हिस्सा 1/2 मे हि0 बराबर दर्ज किये जाने की की आज्ञा प्रदान की गई जिससे व्यथित होकर अपीलांट अतुल शर्मा द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 (1) (एफ) अन्तर्गत यह अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि व वस्तुस्थिति के सर्वथा विपरीत होने से

निरस्तनीय है क्योंकि परीक्षण न्यायालय ने मृतक खातेदार सन्तुलाल ने अपनी जीवित अवस्था मे अपीलार्थी के हक मे दिनांक 17.12.2003 को निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण दर्ज नही कर खातेदार के भाईयों के नाम नामा0 तस्दीक करने का अवैधानिक रूप से आदेश पारित कर त्रुटि की है। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह माना है कि खातेदार का सगा भाई सुधाकर के वारिस वसीयत को फर्जी बताते है लेकिन वसीयत पंजीबद्ध है जब तक वसीयत सिविल न्यायालय से खारिज नही हो जाती तब तक साक्ष्य मे विधि मान्य है जबकि आज तक वसीयत किसी भी न्यायालय से निरस्त नही की गई है और न ही उसे अवैध व फर्जी घोषित किया गया है। रेस्पो0 ने इस संबध मे कोई चाराजोही भी नही की है। अपीलार्थी ने परीक्षण न्यायालय मे वसीयत को वसीयती गवाहान से परीक्षित कराकर वसीयत को साबित किया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर ध्यान दिये बिना आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। मृतक खातेदार की भूमि ग्राम खटावदा मे स्थित है उसमे न्यायालय द्वारा नामा0 सं0 577 से खातेदार के सगे भाई सुधाकर एवं ओमप्रकाश का नाम दर्ज किया जा चुका है जिसकी अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है तथा अपील भी मियाद बाहर हो चुकी है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे उक्त नामा0 सं0 577 को आधार बनाया है जो गलत और अवैध है। उक्त नामा0 का आदेश इस कार्यवाही पर प्रभावी नही है। वसीयत को साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय मे साबित किया है जो निर्विवाद है तथा उप पंजीयक हिण्डोल से पंजीकृत है। किसी भी न्यायालय द्वारा वसीयत को निरस्त नही किया है वसीयत मे ग्राम करौंदी की जमीन का कोई उल्लेख नही है। वसीयतनामा बूंदी शहर मे लिखाया गया है तथा पंजीयन उप पंजीयक हिण्डोली के यहा करवाया गया है। अपने निर्णय मे गलत माना है दस्तावेज को निष्पादनकर्ता कही भी निष्पादित कर सकता तथा पंजीयन करा सकता है। वसीयत के आधार पर अपीलांट मृतक खातेदार की भूमि का मालिक है। अपने प्रार्थना पत्र को अपीलांट ने बखूबी साबित किया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो को समझे बिना खातेदार के भाईयो के नाम नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने हितधारक द्वारा वसीयत के 11 वर्ष बाद तथा ग्राम खटावदा की भूमियों के संबध मे 4 वर्ष 2 माह बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना माना है। वसीयत के संबध मे भूमि खाते दर्ज करवाने हेतु कभी भी प्रार्थना पत्र वसीयतग्रहिता पेश कर सकता है उसमे कानूनन कोई मियाद नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर भी गौर नही किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार तालेडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.7.2018 निरस्त कर अपीलग्रस्त भूमियों मे अपीलांट का नाम खातेदार के स्थान पर दर्ज करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये प्रकट किया कि मृतक खातेदार संतुलाल तीन भाई सुधाकर व ओमप्रकाश थे। संतुलाल लाऔलाद फौत हुआ है। सुधाकर की भी मृत्यु हो चुकी है रेस्पो0 कम–1 लगायत 5 उसके विधिक उत्तराधिकारी/वारिस है। मृतक संतुलाल के खाते दर्ज आराजी उसकी स्वअर्जित है। उसकी तीन गांवो मे भूमि है। ग्राम करोंदी तह0 तालेडा मे संतुलाल के खाते दर्ज भूमि का विवाद है। संतुलाल ने अपने जीवनकाल मे ग्राम करोंदी की भूमि की वसीयत अपीलांट के नाम निष्पादित की है जो उपपंजीयक हिण्डोली के द्वारा दिनांक 17.12.03 को पंजीकृत है। सक्षम न्यायालय द्वारा वसीयत को प्रभाव शून्य घोषित नही किया है। ग्राम करोंदी की भूमि को उक्त वसीयतनामे के आधार पर अपने नाम दर्ज कराने हेतु अपीलांट द्वारा एवं मृतक सुधाकर के वारिसान द्वारा परीक्षण न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वारिसान की रिपोर्ट मांगी गई जो ग्राम करोंदी के संबध मे रिपोर्ट प्राप्त नही हुई ग्राम खटावदा और खडीपुर से रिपोर्ट प्राप्त की जो वसीयतग्रहीता के संबध मे नही है। विवादित भूमि के संबध मे रिपोर्ट प्राप्त नही की गई। अटेस्टिंग विटनेश के बयान कराये फिर भी परीक्षण न्यायालय ने विवादित आराजी का नामा0 वसीयतग्रहीता के नाम नही खोल कर उत्तराधिकारियों के नाम खोलकर त्रुटि की है। निर्णय मे ग्राम करोंदी की भूमि का वर्णन नही है परीक्षण न्यायालय ने बिना माइंड एप्लाई किये निर्णय पारित किया है ग्राम खटावदा की आराजी का नामा0 मुझे सुनकर तस्दीक किया। वह अंतिम नही है उसको कैसे आधार बनाया एक तरफ वसीयत सही है फिर नामा0 सं0 577ग्राम खटावदा उत्तराधिकारियो के नाम कैसे तस्दीक हो सकता है नामा0 577 केवल नामा0 है निर्णय नही है हमने ग्राम खटावदा स्थित आराजी के नामा0 सं0 577 की अपील कर रखी है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे जेरअपील निर्णय निरस्त कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमांड किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे बताया कि वसीयत मे ग्राम करोंदी की भूमि का जिक्र नही है शेष ग्रामों का जिक्र है। ग्राम खटावदा के भूमि के संबध मे वसीयत को 9 वर्ष तक लेकर बैठे रहे है जबकि भू राजस्व अधिनियम की धारा 133 मे निहित प्रावधान अनुसार 3 माह मे सूचना देना चाहिये था। चल अचल सम्पत्ति का अर्थ नही है नियम से खोला है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रकरण मे प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रमाणित प्रति आदेशिका 24.8.18 प्रमाणित प्रति अपील मिमो, प्रमाणित प्रति आदेशिका 24.8.18 स्थगन प्रार्थना पत्र, प्रमाणित प्रति स्थगन प्रा0 पत्र, प्रति प्रकाशित दैनिक भाष्कर अंक दिनांक 12.9.18, राज0 पत्रिका प्रकाशित अंक दिनांक 15.9.18 की प्रस्तुत की जो निर्णय मे सहायक होने से न्यायहित मे रिकार्ड पर लिये जाते है। परीक्षण न्यायालय तहसीलदार तालेडा द्वारा जेरअपील निर्णय दिनांक 27.7.2018 ग्राम खटावदा तह0 हिण्डोली के खाता सं0 155 के मृतक खातेदार सन्तुलाल वल्द कल्याणमल ब्राहमण सा. बूंदी खातेदार के राजस्व न्यायालय द्वारा ग्राम खटावदा तह0 हिण्डोली के नामा0 सं0 577 निर्णय दिनांक 22.7.2010 से मृतक के सगे भाई सुधाकर व ओमप्रकाश उत्तराधिकारी दर्ज होने के आधार पर ग्राम करोंदी तह0 तालेडा की जमाबंदी सं0 2069–72 के खाता सं0 68 ख0 सं0 982/19 रकबा 15 बीघा पर मृतक सन्तुलाल के स्थान पर उत्तराधिकारी उसके सगे भाई सुधाकर व ओमप्रकारा हिस्सा बराबर दर्ज खाता किये जाने एवं सुधाकर की मृत्यु हो जाने से उसके स्थान पर त्रिलोक दिवाकर प्रभाकर रत्नाकर पि0 सुधाकर गीतादेवी पत्नी सुधाकर नि0 बूंदी का नाम हिस्सा 1/2 मे हि0 बराबर दर्ज किये जाने का पारित किया है। तहसीलदार तालेडा द्वारा ग्राम करोंदी तहसील तालेडा स्थित मृतक खातेदार सन्तुलाल की आराजी का ग्राम खटावदा तहसील हिण्डोली स्थित मृतक खातेदार सन्तुलाल की आराजी का उसके दो सगे भाई सुधाकर व ओमप्रकाश के नाम तस्दीक फौती नामा0 सं0 577 दिनांक 22.7.2010 को आधार बनाकर जेरअपील निर्णय दि0 27.7.2018 पारित करने मे त्रुटि की है। प्रकरण मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त विवेचित दस्तावेजात के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम खटावदा तहसील हिण्डोली का मृतक खातेदार सन्तुलाल की आराजी का तस्दीक किया गया। नामा0 सं0 577 दिनांक 22.7.2010 को अति0 जिला कलक्टर बूंदी के न्यायालय मे चुनोती दी हुई है जिसमे दिनांक 24.8.18 को स्थगन आदेश जारी किया गया है ऐसी स्थिति मे उक्त नामा0 सं0 577 अंतिम निर्णय नही माना जा सकता। परीक्षण न्यायालय ने मृतक खातेदार सन्तुलाल की स्थित आराजी के संबध मे वसीयत पर बिना गौर किये तथा वारिसान की जांच किये बिना ही आलौच्य जेरअपील निर्णय 27.7.2018 पारित करने मे त्रुटि की है ऐसी स्थिति मे परीक्षण न्यायालय के आलौच्य निर्णय दिनांक 27.7.2018 को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 27.7.2018 अपास्त किया जाता है। ग्राम करौंदी तहसील तालेडा स्थित मृतक खातेदार सन्तुलाल की आराजी के संबध मे पक्षकारान को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण मे समुचित तथ्यों का परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार तालेडा को प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 06.3..2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा